PROF. SAIFUDDIN SOZ (Jammu and Kashmir): Madam, You give the verdict after hering us...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. The thing *is...(Interruptions)*...

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Madam, briefly.. .*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot hear it because there is no rule under which 1 can allow you. This House runs on certain procedures and rules. You raised this issue. I will see to it that the hon. Chairman gives permisson and we find time for it and the concerned hon. Minister should answer about it, whoever is concerned. The Government should be seized with the situation. But you cannot just raise it and ask mc to throw away the rules, and allow you to speak. I do not expect it from a senior member like you... *(Interruptions)*... Shri Suresh Pachouri.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Madam, he was allowed to make a statement... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is done in our House. ..*(Interruptions)*... Please do not argue with me. You are a new Member in this House; I think, after some time, you will know all this.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, Mr. Ravi, raised a point...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said that I will find out and let you know when we are going to list it.

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Madam, I want your verdict after hearing me. He was allowed to make a statement. Privilege is different. That is a different issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You do not know about it...*(Interruptions)*...

PROF SAIFUDDIN SOZ: I know it...*(Interruptions)*... I want to tell you that he was allowed to make a statement and now this august House has taken notice of that statement. So, I wanted to associate myself in a limited sense that the matter must be examined.

THE DEPUTY CHAIRMAN: listen. Let me tell you ...*(Interruptions)*... Just one second...*(Interruptions)*... It is not a statement. That is why I said, 'You will learn the conventions of this House when you sit here longer.' ...*(Interruptions)*...

PROF. SAIFUDDIN SOZ: I know ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one second. ...*(Interruptions)*...

PROF. SAIFUDDIN SOZ: What is the convention?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The convention is, when a privilege notice is given in this House, the hon. Member is allowed to mention about it. That is all. There is no statement ...*(Interruptions)*...

PROF. SAIFUDDIN SOZ: It is not the privilege but he has made a statement. This is the. Zero Hour. Whenever a statement is made ... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Soz, you come to my chamber and I will explain to you and show you the rule.. .*(Interruptions)*...

PROF. SAIFUDDIN SOZ: Madam, I will show you the rule.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Please sit down, Mr. Soz, and do not waste the time of the House. Mr. Pachouri.

Re; RELIEF AND REHABILITATION TO VICTIMS OF BHOPAL GAS TRAGEDY

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदया, विश्व की भयावह औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस कांड की आज 12वीं बरसी है। दो-तीन दिसम्बर, 1984 को इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से हज़ारों भोपालवासी चिरनिद्रा में सो गए थे। लाखों लोग इस गैस ट्रेजेडी की वजह से प्रभावित हुए। आज भी यह स्थिति है कि इस भोपाल गैस के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से जो नवजात शिशु जन्म ले रहे हैं, वह विकृत अवस्था में जन्म ले रहे हैं। किसी के कान नहीं हैं,

किसी की आंख नहीं है। इस गैस ट्रेजेडी की वजह से नवजात शिशु तो विकृत अवस्था में जन्म ले ही रहे हैं, इसके साथ ही भोपाल में सॉयल और वाटर पोल्यूशन भी इसकी वजह से हो रहा है। जो भोपाल के मानसिक रोगी हैं, टी०बी० और कैंसर के रोगी हैं, गैस ट्रेजेडी के बाद उन रोगियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं ताकि इस प्रकार के रोगों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण किया जा सके। राष्ट्रीय मेडीकल आयोग के गठन की मांग बारम्बार की जाती रही है। इस हाऊस में भी प्रतिवर्ष जब दो-तीन दिसम्बर होती है तो इस गैस ट्रेजेडी की चर्चा करते हैं और चिंता करते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को राहत, पुनर्वास और मेडिकल सुविधा देने की बात करते हैं। महोदया, इस बार भी बरसी के ठीक पहले जो आरोप की धारा 304 थी, जो कि हत्या की धारा है उसके बजाय उसे परिवर्तित कर धारा 304-ए यानी लापरवाही में परिवर्तित कर दिया गया है और इस धारा के परिवर्तन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जी की चुप्पी से तो भोपालवासियों को बहुत ज्यादा निराशा है। भारत सरकार की तरफ से जो यूनियन कार्बाईड प्रमुख एंडरसन था उसके प्रत्यावर्तन की भी मांग नहीं की गई है जिससे भोपाल में बहुत ज्यादा निराशा है। इस सदन में एक एक्ट पारित किया था जिसके तहत दावा न्यायालय स्थापित करने की बात थी। जितनी संख्या में दावा न्यायालय खोले जाने थे उतनी संख्या में आज तारीख तक नहीं खोले गए। मात्र 44 दावा न्यायालय वहां काम कर रहे हैं और लगभग 4 लाख प्रकरण ही वहां निपटाए गए हैं। सारे प्रकरण अभी तक नहीं निपटाए गए हैं। 36 वार्डों के जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके दावा प्रकरणों को ही देखा गया है। 20 और जो वार्ड के लोग हैं उनके प्रकरणों की अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। इसलिए मैं आज के दिन यहां जो लोग गैस से प्रभावित हुए और जो लोग चिर निद्रा में सो गए उनकी स्मृति को जहां हम याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजली व्यक्त कर रहे हैं वहीं मैं आप के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूं कि भोपाल गैस से प्रभावित लोगों के लिए जो एक्शन प्लान बना था और अभी जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 1997 से 2002 तक के लिए जो एक्शन प्लान 316 करोड़ रुपये का प्रस्तावित किया गया है उस पर विचार किया जाये। ग्रुप आफ् मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होनी थी व मीटिंग आज तक नहीं हुई है। जो एक्शन प्लान है मार्च के बाद फिर उसकी समयावधि खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजट से पहले उस एक्शन प्लान को गंभीरता से लिया जाए। महोदया, दो कमेटी बनी थी। एक जो एक्शन प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए और दूसरा ग्रुप आफ् मिनिस्टर्ज़ की कमेटी थी। ग्रुप आफ् मिनिस्टर्ज़ की कमेटी तो बनी हुई है लेकिन एक्शन प्लान का इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार हो रहा है इसके लिए कोई कमेटी भारत सरकार की तरफ से काम नहीं कर रही है। प्रधान मंत्री निवास में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों के लिए एक अलग सैल के निर्माण की व्यवस्था राजीव गांधी के प्रधानमंत्रीत्व काल में हुई थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अलग से सैल स्थापित किया था। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी से प्रभावित लोगों के लिए क्या काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करता था। वह सैल भी बंद हो गया है। मैं आप के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि मॉनिटरिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो, राहत, पुनर्वास और मेडिकल सुविधा गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को मिल पाएं जो एक्शन प्लान मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्तावित किया है उसकी शीघ्र स्वीकृति हो। जो गैस प्रभावित लोगों के लिए ट्रस्ट के माध्यम से अस्पताल बना है उसमें मध्य प्रदेश का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। बाहरी अफसर उसमें हैं। एक निर्माण कार्य के लिए और दूसरा उस अस्पताल को चलाने के लिए उसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चाहे वे लोकल राज्य सभा, लोक सभा के प्रतिनिधि हों या राज्य सरकार के जन प्रतिनिधि हों तभी उस अस्पताल को ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। उस पुराने ढांचे को अधिग्रहण किया जा कर वहां मैमोरियल की स्थापना किया जाना जरूरी है। नान गवर्नमेंटल जो आर्गेनाइजेशन हैं एन०जी०ओ० उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है वह भी भारत सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं की है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका अभी तक भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को देखने के लिए कोई वहां कार्यक्रम नहीं बना है वरना हर बार जो इस संबंधित मंत्रालय का मंत्री है वह वहां जाता है और उन लोगों की पर्याप्त जानकारी लेता है कि उन लोगों के लिए सही काम हो रहा है या नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि संबंधित मंत्री श्री शीश राम ओला वहां जाएं, हालांकि होता यह है कि जो इस मंत्रालय को संभालता है थोड़े दिन के बाद वह भी उस मंत्रालय से चला जाता है। कहीं ऐसा न हो ओला जी भी उस भोपाल विज़िट से पहले कहीं और चले जाएं। इसलिए मैं आप के माध्यम से मांग करूंगा कि प्रधान मंत्री

कार्यालय में एक अलग सैल जो पहले राजीव जी के समय बना था वह पुनः स्थापित किया जाए। एक्शन प्लान को शीघ्र स्वीकृत किया जाए जो मध्य प्रदेश सरकार ने अनुशंसा करके भेजा है और भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों की राहत, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की बात भारत सरकार ने बार-बार कही है,लेकिन भोपाल की रेलवे कोच रिपेरिंग फैक्ट्री में वहां के लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। वहां गैस इफैक्टेड लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं इस अवसर पर जहां गैस से प्रभावित लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं वहीं आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मसले को गंभीरता से ले।

....(व्यवधान).....

उपसभापतिः सभी लोग सपोर्ट करेंगे, इस पर दो राय नहीं हो सकती।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मसैले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी इस प्रस्ताव से अपने को संबद्ध करता हूं।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, this Bhopal gas tragedy has a special reference to the International Day for the Dsiabled, which is being observed today. So we should think of the disabled on this day, and this a matter of significance.

The other point is at least in momory of the victims of the Bhopal gas tragedy and taking into consideration the fact the suffering that is still going on after so many years, the Government should take into account the way the multinationals come into the country and set up factories. Even in my own State we are fighting against the Du Pont factory coming up. On environmental considerations they were thrown out of Goa and now they are setting up their factory in Tamil Nadu. The previous Government in Tamil Nadu had given permission for the Du point factory.

Madam, unless the environmental guidelines are followed by the Government, there is a possibility of many more accidents like Bhopal taking place, because the we completely surrender our responsibility towards the people who live around that area. That is what had happened in Bhopal. The Government should ensure that such targedies do not occur in future due to environmental guidelines being sidelined.

श्री राधवजी (मध्य प्रदेश): मैडम मैं भी इस प्रस्ताव से अपने आप को संबद्ध करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि 56 वार्डों में मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अभी तक 30 वार्डों के लिए ही व्यवस्था की गयी है। शेष 26 वार्ड छूटे हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि इन शेष 26 वार्डों में भी जजेज नियुक्त कर के मुआवजा वितरित करने की कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिए।

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): मैडम, आज भोपाल गैस त्रासदी की 12वीं बरसी है और आज विश्व विकलांग दिवस भी है। इस के चलते दो बहुत महत्वपूर्ण विषय को-रिलेट हो गए है। इसलिए एक महत्वपूर्ण घोषणा चैयर की तरफ से होनी चाहिए कि इस विषय का ध्यान रखा जाएगा, और एक रिपोर्ट आएगी।

मैडम, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस की प्रथम बरसी पर मैं ने एक इश्यू उठाया था कि इस त्रासदी के कारण महिलाओं में खास तौर से रिप्रोडक्टिव चेंजेज हुए थे और जींस भी चेंज हुए है। मैडम, मैं ने कहा था कि इस विषय पर विशेष शोध होना चाहिए, लेकिन आज 12 साल के बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं आया है कि क्या कोई शोध चल रहा है? मैडम, इसका मुझे जवाब दिया जाए और अगर शोध शुरू नहीं हुआ है तो वह जरूर होना चाहिए और इस त्रासदी से पीड़ित महिलाओं का विशेष रुप से ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि बहुत से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। साथ ही मानसिक विघटन के केसेस भी बढ़ गए है। मैं ने हॉस्पिटल्स में इंक्वायर किया था कि वहां मानसिक विघटन की प्रॉब्लम बढ़ी है और बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में देखे जा सकते है।

मैडम, एक और चीज है। हॉस्पिटल्स की कंडीशंस तो माननीय पचौरी जी ने बताई है, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा 11 अनुसेधान हुए है। उन की अध्ययन रिपोर्ट्स भी आई है, लेकिन वह अभी तक पढ़ी नहीं गई है। मैं जानना चाहूंगी कि वह किस अवस्था में है? इसे एक्सपैडाइट कर के सरकार की ओर से सदन के सामने एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि वह क्या कर रही है क्योंकि इस त्रासदी को हुए 12 वर्ष हो गए हैं। मैडम, आप ने बोलने के लिए समय दिया, आप को बहुत-बहुत धन्यवाद। ....(व्यवधान)....

श्री राधाकिशन मालवीय: मैडम, सुरेश पचौरी जी ने जो मुद्दा उठाया है मैडम यह भोपाल से संबंधित है .....(व्यवधान).....आप भी भोपाल की है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He also wants to speak ..... *(Interruptions)* .... I will allow you .... *(Interruptions)* ....

यह मत कहिए कि भोपाल से सम्बंधित है। यह देश का मामला है। .... *(Interruptions)* ....

1 will allow you. You don't have to ask in this way ..... *(Interruptions)* .... I will permit you. He gave his name. All of us arc concerned-cverybody cannot speak. On the television I saw that they were asking for evidence from one who was a five-year old child 12 years ago. How can one who was a five-year old child 12 years ago remember how his parents had died? They arc asking for evidence like this. Such things arc happening there This was shown on the television.

DR. Y. RADHAKR1SHNA MURTY (Andhra Pradesh): Madam, I associate myself with the hon. Member on the Special Mention about the Bhopal tragedy. The vicitims of the Bhopai tragedy have been treated in the most cavalier and the most unsymapthetic manner.

We have a lot of fascination for foreign direct investment for products from potato chips to computer chips, from cabbages to coca, but we have to think twice before inviting FBI into areas which are important and not into areas which are least important. Multinational companies have got a tendency to make dumping, what we can call, social dumping, and they get cheap labour. The other dur.:pmg they do is environmental dumping where all dirty industries arc dumped into a country like ours. Therefore, when we are inviting foreign direct investment, we have put some reasonable restrictions. One is to identify the areas which are not very important. The other thing is to take a guarantee that some compensation will be given whenever such tragedies happen, the third point is that we should ensure that the companies do not indulge in protracted litigation. We will have to take measures beforehand. When we make deals with these companies, we have to be very careful about the legal aspects of FBI

Think you, Madam.

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश): मैडम, सुरेश पचौरी जी ने जो भोपाल गैस ट्रेजडी का मामला यहां इस सदन में उठाया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। यह घटना 3 दिसंबर, 1984 को भोपाल में घटी थी, जिसमें हजारों व्यक्ति उस गैस कांड में मर गए, जानवरों की तो गिनती ही नहीं, हजारों आदमी वहां उसमें मरे। उसके बाद जो गैस प्रभावित बचे है, उनके लिए सरकार ने नई नई योजनाएं बनाई है, जैसा सुरेश पचौरी जी ने बताया, मगर उसका फायदा आज तक नहीं मिल पा रहा हैं। मेरा इसमें डिटेल में न जाकर इतना ही कहना है कि जो मंद बुद्धि बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं और जो गैस से प्रभावित है चाहे वे पुरूष हो या महिला हो, उनका ईलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उनकी देखभाल सही ढंग से की जाए, सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे और जो गैस से प्रभावित लोग आज है उनकी सुरक्षा की जाए। धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार): शुक्रिया, मैडम। भोपाल गैस ट्रेजडी पर जो बातें हमारे सुरेश पचौरी जी ने कही है और जो मुतालवा किया है, मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूं। मैडम, जितने यह कौमी हादसे हमारे मुल्क में होते है, फौरी तौर पर मरने वालों को श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कुछ छोटे और झूठे वादे करके उन लोगों के मसायल से नजरें चुरा ली जाती है। अब जैसे भोपाल गैस हादसा या लातूर से आए हुए जलजले के जरिए तमाम लोगों का मरना या सऊदी एअरलाइंस के जरिए 351 आदमियों का हादसा या इसी तरह आंध्र प्रदेश का तूफान, ये जितने कौमी हादसे है, पूरे मुल्क के लिए तबाही के मेसकीमा

बनते हैं और हुकूमत इन तबाहियों को खतम करने के लिए नित्य नए हवाले और नित्य नई कमेटियां बनाती है, मगर हुकूमत कभी भी इस मामले में संजीदा नहीं रहती।

मैडम, यह गैस कांड का मामला बहुत ही गंभीर है। मैं गुजारिश करूंगा उनकी इन बातों से अपने आपको वाबस्ता करते हुए, कि हुकूमत संजीदगी से इसको ले और हुकूमत ऐसे रास्ते न अपनाए, जिनसे लोगों के एतमाद मुसलसल होते चले जाए और दुख और रोग का इजाफा होता जाए। शुक्रिया, मैडम।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی (بہار): شکریہ میڈم - بھوپال گیس ٹریجڈی پر جو باتیں ہمارے سریش پچوری جی نے کہی ہیں اور جو مطالبہ کیا ہے - میں اسکی بھرپور حمایت کرتا ہوں لیکن جتنے یہ قومی حادثے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں - فوری طور پر مرنے والوں کو تھوڑا بہت بخشش کرتے ہیں بعد کچھ چھوٹے موٹے چھوٹے وعدے کرکے ان لوگوں کے مسائل سے نظریں چرا لی جاتی ہیں - اب جیسے بھوپال گیس حادثہ یا لاطور میں آئے بھوکمپ کے ذریعہ تمام لوگوں کا مرنا یا سعودی ائیر لائنس کے ذریعہ ۳۵۰ آدمیوں کا حادثہ یا اسی طرح سے آندھرا پردیش کا طوفان - یہ جتنے قومی حادثے ہیں - پورے ملک کیلئے تباہی کے میسنجر بنتے ہیں اور حکومت ان تباہیوں کو ختم کرنے کیلئے نت نئے حوالے اور نت نئی کمیٹیاں بناتی ہے مگر حکومت کبھی بھی اس معاملے پر سنجیدہ نہیں رہتی -

میڈم - یہ گیس کانڈ کا معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے - میں گزارش کرونگا انکی ان باتوں سے اپنے آپکو وابستہ کرتے ہوئے کہ حکومت سنجیدگی سے اسکو لے اور حکومت ایسے راستے نہ اپنائے - جنسے لوگوں کے اعتماد مسلسل ہوتے چلے جائیں اور دکھ اور روگ کا اضافہ ہوتا جائے - شکریہ میڈم

"ختم شد"]

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I am only bringing to your notice the parliamentary responsibility in such cases. Is it only a ritual that we are metioning this every year and celebrating the aniversary? Should the Government not take note of these discussions and the views expressed by parliamentarians in the House? The whole country is listening to .these things, but the Government is not taking any steps.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been happening for the last twelve years. It is not happening only today.

SHRI H. HUNUMANTHAPPA: That is why my request and my demand is that the Chair should direct the Government to come with a status paper on the Bhopal tragedy as on today.

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): What concrete action has the Government taken for the last twelve years? What concrete steps is it taking now?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The Government should come out with a status paper as on today. Let the Government bring out at least the progress report on this. I want that the Chair should direct the Government to come out with a paper before the end of the session. The people should not laught at Parliament. It has become a ritual to celebrate the Bhopal tragedy

† Transliteration in Arabic Script.

every year. The Government does not take note of these discussions at all.

I request the Chair to direct the Government to come out with a status paper, a progress report on what action has been taken.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In fact, 1 thought of giving the same direction. I know that this issue is being raised on the 3rd December every year, the day on which this tragedy took place, I fee! this matter should have been raised many more times than just remembering it on 3rd December every year. In a span of 12 years something should have been done for them. Every year this issue comes up before the House. This issue has been discussed in this House umpteem times. I request the Minister to come and give us a complete report from the day this targedy took place, what has happened and where the lapses are.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: He should come with a report in this Session itself.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will try to get it.

RE: DEATHS CAUSED DUE TO ACCIDENTS BY BLUELINE BUSES IN DELHI

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab): Madam Deputy Chairman, one docs appreciate the extreme passion and concern shown by the House towards Bhopal gas tragedy. My hon. friend, Mr. Hanumanthappa, rightly reminded the Government's apathy towards such a tragedy. He is the senior-most Member with a fertile mind. I would ask of him whether the Parliament is awakened to other tragedies at all. The Bhopal gas tragdey occurred on" one day only. But traffic tragedies are occurring every day in Delhi, not in the entire country. On the 27th and 29th November, two accidents took place which have been caused by the blueline buses. Earlier redline buses were also involved in causing accidents. But the fact of the matter is the pedestrians are not safe, scooterists are not safe, cyclists are not, Maruti car-owners arc not safe. I would like to give the statistics of accidents which took place in Delhi in the last five or six years. The number of people killed on Delhi roads in 1992 was 1,800, in 1993 1,804 in 1994 1,900 in 1995 2,000 kill, and so on. Every year almost 1,900 people arc killed in road accidents in Delhi. Madam,, Delhi has recorded the highest accident rate and fatal deaths in the world. What are we doing to control it? It is not a new problem. It is a problem which has been existing for the last five years. Is Parliament awake to it? Did Parliament respond to such killings on the roads in Delhi? I want to put this question to my senior hon. Member who was reminding the Government to be responsible? Is the Parliament responsible? Did it ever take not of the tragedies which are occurring every day?

Madam, there are 27,00,000 vehicles on the roads of Delhi which is more than the vehicles registered in Mumbai, Chennai and Calcutta put together. The fact of the matter is that the Government has not applied its mind to tackle such a peoblem. I consider that there arc problems linked to these accidents. The number one is, the total road traffic in Delhi is absolutely unplanned. Number two, the total traffic is absolutely unregulated. Number three, the total traffic is absolutely uncontrollable. When I say, unplanned, all kinds of vehicles like scooterists, car-owners, cyclists, rickshaw-pullers ply their vehicles on the same road with varying speeds. How would it be possible to check these accidents if there is no planning? There is no one who could plan Delhi traffic. The traffic on Delhi roads is uncontrolled and unregulated. The buleline bus service does not have a system to operate its vehicles. They run their vehicles on Delhi roads at a very high speed, 80 KM per hour killing hundreds of people.

There is absolutely no plan. No regulation is kept in mind. There is no safety. The fact c* the matter is that we are heading towards a total disaster in